बिहार सरकार
पर्यटन निदेशालय
प्रथम तल, बी. ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय, पटना–800015
फोन:+91-612-2217045 ***website: www.bihartourism.gov.in***

**श्री केशव रंजन प्रसाद, बि.प्र.से., निदेशक पर्यटन, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 31.05.2017 को अपराह्न 03.30 बजे सभी पर्यटक सूचना केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों के साथ आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।**

---

**दिनांक** :– **31.05.2017**
**स्थान** :– **बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का सभाकक्ष।**
**समय** :– **अपराह्न 03.30 बजे।**
**उपस्थिति** :– **पंजी के अनुसार।**

सर्वप्रथम निदेशक, पर्यटन द्वारा सभी पर्यटक सूचना केन्द्रों के वरीय पदाधिकारी/प्रभारी अधिकारी/संबंधित सहायक के साथ एक समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. सर्वप्रथम सभी प्रभारी अधिकारियों को पर्यटक सूचना केन्द्रों का सही तरह से रख–रखाव, साफ–सफाई एवं बुनियादी सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

2. पर्यटक सूचना केन्द्रों का मूलभूत उद्देश्य पर्यटकों/श्रद्धालुओं के बीच सही एवं स्पष्ट सूचना प्रसारित किया जाना है। अतः इस संबंध में प्रभारी अधिकारियों को सभी तरह की जानकारियों से लैस रहने हेतु निदेशित किया गया।

3. अपने–अपने व्यक्तिगत प्रयासों से पर्यटकों/श्रद्धालुओं को राजगीर, बोधगया, ककोलत, वाल्मिकीनगर आदि अन्य प्रमुख पर्यटकीय स्थलों पर भ्रमण हेतु प्रेरित किये जाने संबंधी राज्य में अवस्थित होटल, धर्मशाला, ट्रैवल एजेंसी, कमरों का टैरिफ, गाड़ियों की बुकिंग, राज्य के अन्तर्गत विभिन्न टूर पैकेज एवं अन्य विभागों यथा इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, कला संस्कृति, हैण्डिक्राफ्ट आदि से संबंधित सही एव स्पष्ट जानकारी रखे जाने का निदेश सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र, पर्यटन निदशालय को दिया गया।

4. प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र, राजगीर एवं बोधगया से ऐसी उम्मीद की गयी कि वह पर्यटकों/श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के मामले में अन्य पर्यटक सूचना केन्द्रों का आदर्श बनें।

5. सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र को पैकेज टूर एवं ऑनलाईन बुकिंग की सुविधा प्राप्त करने से संबंधित जानकारी हेतु श्री ब्रजेश कुमार सिंह (मो०–9472238017), प्रभारी प्रबंधक, ट्रेवल ट्रेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना से संपर्क एवं समन्वय स्थापित किये जाने एवं श्री सिंह को निगम की तरफ से सभी टूर पैकेज/ऑपरेशन की ससमय जानकारी निदेशालय/सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र को उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

6. पर्यटक सूचना केन्द्र, होटल पाटलिपुत्रा अशोक, पटना द्वारा उनके केन्द्र पर प्रत्येक महीने डेढ सौ से दो सौ पर्यटकों के आगमन की सूचना पर संबंधित सहायक निदेशक को रजिस्टर से मिलान कर वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

7. ब्रोशर, लीफलेट, सीडी एवं अन्य आवश्यक प्रचार सामग्री सूचना केन्द्र पर कितनी मात्रा में उपलब्ध है और कितनी आवश्यकता है से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने का निदेश सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र को दिया गया।

8. विभिन्न पर्यटकीय स्थलों का ड्रोन सी०डी०, प्रकाश पर्व का सी०डी०, विभिन्न मेला–महोत्सव की सी०डी० एवं पर्यटक हेतु लोकोपयोगी योजनाओं की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार से संबंधित सी०डी० निरंतर चलाने जाने का निदेश सभी प्रभारी अधिकारियों को दिया गया।

9. पर्यटक सूचना केन्द्र में आने वाले पर्यटकों के लॉग बुक का संधारण एवं उनके द्वारा दर्ज शिकायत/मंतव्य आदि की स्थिति एवं उनके निराकरण हेतु विजिटर बुक में यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि कुल पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत पर्यटकों का आगमन उनके सूचना केन्द्र पर हुआ एवं एतद्संबंधी प्रतिवेदन प्रत्येक माह निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने का निदेश सभी प्रभारी अधिकारियों को दिया गया।

10. पर्यटक सूचना केन्द्र, वाराणसी एवं एयरपोर्ट पटना को ग्लो साईन बोर्ड का प्राक्कलन प्राप्त कर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त करते हुए उसे अपने–अपने सूचना केन्द्र पर लगाये जाने संबंधी कार्रवाई शीघ्र पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया।

11. सभी पर्यटक सूचना केन्द्र के प्रभारी अधिकारियों को बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय से बाहर रहने अथवा छुट्‌टी के दिनों में बिना अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ने का सख्त निदेश दिया गया। किसी भी केन्द्र के निरर्थक बंद होने की सूचना आने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।

12. सभी पर्यटक सूचना केन्द्र के प्रभारी अधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे प्रत्येक महीने की 10वीं तारीख तक अपने केन्द्र से संबंधित सभी विपत्र को निदेशालय भेजें। पूर्व से निर्गत अग्रिम के पचहत्तर प्रतिशत विपत्र प्राप्त होने पर ही अगला अग्रिम स्वीकृत किये जाने का निदेश दिया गया ताकि इस संबंध में निरंतरता बनी रहे। यह ध्यान रखा जाये कि बिजली बिल, टेलीफोन बिल, अथॉरिटी बिल ससमय निदेशालय को प्राप्त हो नहीं तो विलंब होने पर विलंब शुल्क संबंधित प्रभारी अधिकारी से वसूला जायेगा।

13. पर्यटक सूचना केन्द्र, रक्सौल को प्राप्त अग्रिम का समायोजन नहीं कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये उन्हें समायोजित कराये जाने तक किसी भी तरह का अग्रिम स्वीकृत नहीं किये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही अन्य पर्यटक सूचना केन्द्रों को अग्रिम स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी। अगले बुधवार को पर्यटक सूचना केन्द्र, रक्सौल एवं गया हवाई अड्डा के प्रभारी अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित किये जाने का निदेश दिया गया।

14. पर्यटकों/श्रद्धालुओं को आकर्षित किये जाने संबंधी कुछ प्रमुख सुझाव सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र को दिये गये जिनमें मुख्य रूप से उन्हें विनम्र एवं शिष्ट होना, सही सूचना देना, अनावश्यक सवाल नहीं करना, धन्यवाद करना, मैसेज करना आदि प्रमुख हैं। ऐसा व्यवहार करने से पर्यटकों के बीच यह संदेश जायेगा कि पर्यटन विभाग का कार्य सकारात्मक है। इस संबंध में एक स्टैण्डर्ड फॉर्म (टेम्पलेट) विकसित किये जाने का निदेश दिया गया।

15. पर्यटक सूचना केन्द्र, पटना जंक्शन पर प्री–पेड टैक्सी काउंटर शुरू करवाये जाने हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से अनुरोध किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

16. सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र के अनुरोध के आलोक में आंशिक झाडूदार का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने संबंधी प्रस्ताव शीघ्र उपस्थापित किये जाने का निदेश दिया गया।

17. सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र को सब्सटेंसिव रिपोर्ट (आकड़ों में) तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

12/06/17

निदेशक, पर्यटन।

ज्ञापांक:– 1583 प०नि०, पटना, दिनांक:– 12/06/2017

प्रतिलिपि:– सचिव, पर्यटन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक, पर्यटन/सहायक निदेशक, टी०आई०सी०/सहायक निदेशक, लेखा/सहायक निदेशक, स्थापना/निदेशक पर्यटन के निजी सहायक/सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3. आई०टी०प्रबंधक, पर्यटन को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/06/17

निदेशक, पर्यटन।